मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

भोपाल, दिनांक 20 SEP 2017

आदेश

क्रमांक एफ 8–03/2017/2/34 :: राज्य शासन द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 02.03.2017 की कंडिका–5 में आंशिक संशोधन हेतु तकनीकी समिति की आठवीं बैठक दिनांक 18.09.2017 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए एतद् द्वारा उक्त कंडिका–5 अंतर्गत प्रत्यायोजित किये गये प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार की सीमा को बढ़ाकर एतद् द्वारा रूपये 20.00 लाख किया जाता है।

राज्य शासन द्वारा जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 21.03.2017 की कंडिका–1 के अनुसरण में प्रचलित प्रक्रिया के अंतर्गत बंद नलजल योजनाओं को चालू करने हेतु रूपये 2.00 लाख तक सुधार लागत वाले कार्यों हेतु सामान्यतः राशि संबंधित ग्राम पंचायतों को दी जा रही थी। तकनीकी समिति की आठवीं बैठक दिनांक 18.09.2017 की अनुशंसाओं को मान्य करते हुए एतद् द्वारा निर्णय लिया जाता है कि शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.03.2017 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति प्रकरण की परिस्थितियों में यदि आवश्यक समझे तो अब रूपये 5.00 लाख तक के सुधार कार्य ग्राम पंचायत से कराये जा सकते हैं, परंतु यदि जिला स्तरीय समिति ऐसा उपयुक्त समझे तो रूपये 5.00 लाख तक के कार्य विभाग द्वारा करवाये जाने का निर्देश भी दे सकती है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
20/09/2017
(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्रमांक एफ 8–03/2017/2/34 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2017

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, विंध्याचल भवन, म.प्र. भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/वि.यां., भोपाल।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल म.प्र.।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड म.प्र.।

20/09/2017
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग